



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273147
CG-DL-E-04062026-273147

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2752]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2752]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

का.आ. 2846(अ).— जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 01 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम के प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक उनका संबंध पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) से संबंधित उक्त अधिनियम की क्रम संख्या 35 और अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टियों से होगा।

[फा. सं. पी-24039/115/2025-IPR-IV]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

S.O. 2846(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 35 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Patents Act, 1970 (39 of 1970) respectively shall come into force.

[F. No. P-24039/115/2025-IPR-IV]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.